

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग ।

सेवा में

महाधिवक्ता, हरियाणा,  
चण्डीगढ़ ।

यादि क्रमांक 2/5/2022-5जे0जे01  
दिनांक: 09-06-2022

विषय:-

**Raising the upper age limit for entry into Haryana Government Services - Amendment in relevant service rules of the employees of Group 'B', 'C' & 'D'**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम नियम, 2022 तथा महाधिवक्ता हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 के अधिसूचनाओं की मुद्रित प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी में आपको आवश्यक एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

-सूची-

अधीक्षक, जेल एवं न्यायिक-1  
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग ।

पृ० क्रमांक 2/5/2022 - 5 जे.जे.-1

दिनांक, चण्डीगढ़ 08-06-2022

हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम नियम, 2022 तथा महाधिवक्ता हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 के अधिसूचना की प्रति अधीक्षक, आई.टी. सैल, गृह को गृह विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजी जाती है ।



अधीक्षक, जेल एवं न्यायिक-1  
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग ।



हरियाणा सरकार  
न्याय प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 120/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय (ग्रुप ख ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय (ग्रुप ख ) सेवा नियम, 1996 में, नियम 5 में, "17" तथा "35" अंकों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह" तथा "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राजीव अरोड़ा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

**Notification**

The 30th May, 2022

**No. G.S.R. 120/Const./Art. 309/2022.**— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Advocate General (Group B) Service Rules, 1996, namely: -

1. These rules may be called the Haryana Advocate General (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Advocate General (Group B) Service Rules 1996, in rule 5, for the figures “17” and “35”, the words and sign “eighteen” and “forty-two” shall respectively be substituted.

RAJIV ARORA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Administration of Justice Department.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 121/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1981, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1981 में, नियम 5 में, "17" अंक और "चालीस" शब्द के स्थान पर, क्रमशः "अठारह" और "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राजीव अरोड़ा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

**Notification**

The 30th May, 2022

**No. G.S.R. 121/Const./Art. 309/2022.**— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Advocate General Office Ministerial (Group C) Service Rules, 1981, namely: -

1. These rules may be called the Haryana Advocate General Office Ministerial (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Advocate General Office Ministerial (Group C) Service Rules, 1981, in rule 5, for the figure and word "17" and "forty", the words and sign "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted..

RAJIV ARORA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Administration of Justice Department.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 122/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, महाधिवक्ता हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम महाधिवक्ता हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. महाधिवक्ता हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"5 आयु.— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आयु ऐसी होगी, जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट है।"

राजीव अरोड़ा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT**

**Notification**

The 30th May, 2022

**No. G.S.R. 122/Const./Art. 309/2022.**— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Advocate General, Haryana (Group D) Service Rules, 1996, namely: -

1. These rules may be called the Advocate General, Haryana (Group D) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Advocate General, Haryana (Group D) Service Rules, 1996, for rule 5 the following rule shall be substituted, namely:-

“5. Age.- The age for direct recruitment to the service shall be such as specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).”.

RAJIV ARORA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Administration of Justice Department.